>

Title: Need to release adequate funds under Calamity Relief Fund/National Calamity Contingency Fund to undertake relief measures in drought affected areas of Rajasthan and provide insurance benefit to the drought affected farmers from National Agriculture Insurance Corporation.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान राजस्थान राज्य में पड़े सूखे की ओर दिलाना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के 33 जिलों में से 26 जिलों में आकाल घोषित किया हे। आकाल के कारण कृषि उत्पादन के साथ-साथ पशु-धन की स्थिति पर भी विपरीत असर पड़ा है। अकाल के कारण कृषि उत्पादन के साथ-साथ पशु-धन की स्थिति पर भी विपरीत असर पड़ा है। राजस्थान सरकार द्वारा 26 जिलों के 32,833 गांवों में लोगों को रोजगार देने, वैकल्पिक कृषि की व्यवस्था करने, पशुओं के लिए चारा उपलबध करवाने एवं अनुग्रह सहायता हेतु भारत सरकार से पैकेज के रूप में 12,690.99 करोड़ रूपये की मांग की थी, लेकिन भारत सरकार ने 1034.84 करोड़ रूपये ही स्वीकृत किये हैं, जो कि अत्यन्त ही कम है।

2 सितम्बर, 2009 को भारत सरकार के केन्द्रीय दल ने भी राजस्थान राज्य का दौरा किया एवं अकाल की विभीषिका को नजदीक से देखा, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त सहायता राशि नहीं दिये जाने से राज्यों में आवश्यकता के अनुसार पर्यापत आकाल राहत कार्य संचालित नहीं हो रहे हैं।

मैं आपके माध्यम् से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि राजस्थान राज्य को सी.आर.एफ/एन.सी.सी.एफ. में वांछित राशि राजस्थान राज्य के लिए तुरन्त रिलीज करें एवं नेशनल एग्रीकल्चर इन्शोरेस कार्पोरेशन को निर्देशित करें कि सूखे के कारण चौपट हुई फसल के लिए अविलंब प्रिमियम के अनुसार बीमा राशि स्वीकृत करें, जिससे किसानों को तत्काल राहत मिल सके।